उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-163/2019/2518/92-2-19-164जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 05 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो के टेण्डर पूंलिग एवं मैनेज टेण्डर डलवाने तत्परिणाम स्वरूप खुली निविदा की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित करने एवं टेण्डर प्रक्रिया की पारदर्शिता को दोष पूर्ण बनाने आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-109/17/1118/92-2-17-164जांच/15 दि0 11.07.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0वि0विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-592/92-2-18-164जांच/15 दि0 23-04-2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्यअभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-जी-844/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-नि0मु0अ0/जांच-शि0शि0/ 18-19 दि0 09-07-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता की जांच आख्या दिनांक 09-07-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री शिवाशिव शरण मिश्र पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप स्थापित होना नही पाया गया। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-07-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-163/2019/2518/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति सेवानिृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in